नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 149707

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 3815 दिनांक 06-02-19

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या MBD-1381 पत्रावली संख्या MBD-12655 दिनांक 06/02/2019

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लाल बहादुर सिंह स्मारक शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम व पो० गोहावर, जनपद बिजनौर। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 982/2003-04 दिनांक 06/01/2004 को दिनांक 06/01/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100/- रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 06/02/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, व्यवसाय जिन [illegible] नार सौंपा गया।

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	पता	[illegible]	व्यवसाय
1.	श्री रवेन्द्र कुमार	स्व. श्री लाल बहादुर सिंह	मीरना (बिजनौर)	[illegible]	व्यापार
2.	श्री के०पी० सिंह	श्री करन सिंह	ग्रा० जटपुरा, बिजनौर	[illegible]	सर्विस
3.	डा० दीपा कुमार	पत्नि श्री आलोक कुमार	पदमा नर्सिंग होम,धामपुर	[illegible]	व्यापार
4.	श्री उदयराज सिंह	श्री रामपाल सिंह	ग्रा. नीरथला, शेरकोट	[illegible]	सर्विस
5.	डा० गणेश सिंह सिसोदिया	श्री प्रभु सिंह	जैतरा, धामपुर	[illegible]	व्यापार
6.	श्री रमेश सिंह	श्री मुरारी सिंह	मो० [illegible], सरकड़ा	[illegible]	[illegible]
7.	डा० इन्द्रपाल सिंह	श्री नत्थू सिंह	कौराल, नवादा, जे.पी. नगर	[illegible]	व्यापार
8.	श्री रामपाल सिंह	श्री तुलसी सिंह	ग्रा. व पो. मुकरपुरी,बिजनौर	[illegible]	व्यापार
9.	श्रीमती शारदा देवी	पत्नि श्री [illegible] सिंह	जोया, जे.पी. नगर	[illegible]	व्यापार
10.	श्री जयपाल सिंह	स्व.श्री शिशपाल सिंह	ए-04 लोहियानगर, गाजियाबाद	[illegible]	सर्विस
11.	श्री आर०के० गुप्ता	श्री रामकिशोर गुप्ता	157 बी-4, सराय कोठीवालान, मुरादाबाद	[illegible]	व्यापार

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता एवं संस्था उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाय [illegible] 0 एक्ट-1960 के अन्तर्गत पूर्व से रजिस्टर्ड सोसायटी का नवीनीकरण व नियमावली में संशो [illegible] करते है।

रवेन्द्र कुमार
K.P. Singh
D. Kumar
R. Singh
[illegible]
Ramesh Singh
G. S. Sisodia
शारदा देवी
JP Singh
रामपाल सिंह

[illegible]

संशोधित नियमावली

1, संस्था का नाम : लाल बहादुर सिंह स्मारक शिक्षा प्रसार समिति

2, संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट गोहावर,जनपद बिजनौर।

3, संस्था कण कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।

4, संस्था के उद्देश्य

(क) शिक्षा का प्रसार करना व छात्रों में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करना।

(ख) छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास करना तथा उन्हे राष्ट्र का सफल नागरिक बनाना।

(ग) छात्रों के सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षिक पक्षो का विकास करना व यथा सम्भव जीवोपार्जन के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करना।

(घ) निर्धन, असहाय व परिचित पिछड़ी जाति के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना।

(ड़) कक्षा 1 से 16 तक कि शिक्षा व औद्योगिक शिक्षा, मेडिकल हॉस्पिटल,मेडिकल शिक्षा, आयुर्वेदिक,एलोपैथिक,युनानी शिक्षा,पैरामेडिकल, फार्मेसी शिक्षा,नर्सिग,अभियांत्रिकी शिक्षा हेतु संस्था का समुचित संचालन करना।

(च) क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम द्वारा अच्छे नागरिको का जन्म देना व क्षेत्र क जनता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, एकता एवं साम्प्रदायिक सदभावना, को जाग्रत करना।

(छ) मातृ भाषा हिन्दी व सभी महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा हिन्दी माध्यम एवं नवीनतम पद्धति द्वारा संचालित करना।

(ज) अनाथ, विकलांक बच्चों की समुचित शिक्षा, रहन–सहन एवं सामाजिक उत्थान करना।

(झ) संस्था के सामान्य उद्देश्यों के लिये कार्य करने वाली संस्थाओं के साथ सहयोग कर उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिये सामाजिक स्तर पर विचार करना।

(ण) राष्ट्रीय तथा प्राकृतिक आपदाओं व समस्याओं के दौरान नागरिकों एवं सरकार की सहायता करना।

K.P. Singh
Kumar
R Singh
J P Seth
Ramesh Singh
Dr. G. S. Aiswalia
शारदा देवी
K.P. Singh
रामपाल सिंह
Rajendra Kumar Gupta

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

सचिव
लाल बहादुर सिँह स्मारक
शिक्षा प्रसार समिति
गोहावर (बिजनौर)

5. संस्था की सदस्यता, सदस्य वर्ग : संस्था में सदस्सयता शुल्क के अनुसार निम्न 3 प्रकार के सदस्य होंगे :–

(क) संस्थापक सदस्य ।

(ख) आजीवन सदस्य ।

(ग) सामान्य सदस्य ।

6. सदस्य वर्गानुसार सदस्यों की अनिवार्य अर्हता एवं अधिकार

(क) संस्थापक सदस्य :–

जो व्यक्ति संस्था को एक साथ 1,00,000/ रुपये (एक लाख रुपये) या इससे अधिक की धनराशि नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेगा अथवा इतने मूल्य या इससे अधिक की चल/अचल सम्पत्ति संस्था के नाम करेगा वह संस्थापक सदस्य होगा। संस्थापक सदस्य की सदस्यता जीवन पर्यन्त बनी रहेगी तथा प्रबन्ध समिति में पदेन एवं मनोनीत सदस्यों को छोड़कर समस्त पदाधिकारी संस्थापक सदस्य ही होंगे। संस्था में कम से कम 11 (ग्यारह) संस्थापक सदस्यों का होना आवश्यक है। संस्थागत सदस्य अपने जीवन काल में संस्था के लिये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है । संस्थापक सदस्य की मृत्यु के उपरान्त जो उनका उत्तराधिकारी होगा वही संस्थागत सदस्य होगा ।

(ख) आजीवन सदस्य :–

जो व्यक्ति एक साथ 40,000 रुपये (चालीस हजार रुपये) या इससे अधिक की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्था को प्रदान करेगा वह 'संस्था' का आजीवन सदस्य होगा । आजीवन सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी को आजीवन सदस्यता का अधिकार नही होगा ।

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
B. Kumar
R. Singh
J P Sah
Ramesh Singh
Dr. G. S. Sisodia
शारदा देवी
R.P. Singh
रामपालसिंह
Rajendra Kumar [illegible]

(ग) सामान्य सदस्य :–

जो व्यक्ति एक साथ 5,000 रूपये (पाँच हजार रूपये) या इससे अधिक की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्रापट के माध्यम से संस्था को प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

7. सदस्यता समाप्ति की शर्तें : निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी ।

(क) सदस्य की मृत्यु होने पर ।

(ख) पागल अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क की पुष्टि हो जाने पर ।

(ग) दिवालिया घोषित होने पर ।

(घ) संस्था का निर्धारित शुल्क जमा न होने पर ।

(ङ) नैतिक पतन सम्बन्धी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाने पर ।

यदि यह प्रश्न उठे कि समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी इस रूप में बने रहने के लिये अनर्दित हो गया या नही तो यह प्रश्न समिति द्वारा निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उस पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा। निम्नलिखित अवस्था सदस्य अपने अधिकारों से वंचित समझे जायेंगे –

(क) त्याग पत्र देने पर ।

(ख) वैधानिक आपत्ति एवं दुराचारी प्रमाणित होने पर ।

(ग) संस्था का कोई धन अथवा सम्पत्ति अपने पास अवैध रूप से रखने पर ।

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
B Kumar
R Singh
J P Singh
Ramesh Singh
Dr G. S. Aisodia
शारदा देवी
JP Singh
रामपाल सिंह
Rajendra Kumar Gulati

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, इलाहाबाद

(घ) संस्था के विरूद्ध कार्य करने तथा संस्था को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने पर ।

8. संस्था की सभा के अंग

(I) संस्था में दो सभा कार्य करेंगी जिनका गठन, कार्य एव अधिकार निम्नवत होगा ।

क, साधारण सभा

ख, प्रबन्ध समिति

क, साधारण सभा –

संस्थापक सदस्यों, आजीवन सदस्यों, सामान्य सदस्यों और पदेन सदस्यों के संयुक्तीकरण से साधारण सभा का गठन किया जायेगा। साधारण सभा की अध्यक्षता भी प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष करेगा।

ख, प्रबन्धकारिणी समिति –

प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष तथा सचिव का पद आजीवन होगा एवं अध्यक्ष व सचिव को पूर्ण अधिकार है कि जीवन पर्यन्त अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकेगें तथा उपाध्यक्ष, उपसचिव, कोषाध्यक्ष व उपकोषाध्यक्ष का चयन केवल संस्थापक सदस्यों में से होगा। संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का चयन साधारण सभा की आम सहमति के आधार पर संस्था के आजीवन सदस्यों में से किया जायेगा। अध्यक्ष तथा सचिव के आजीवन पद पर किसी भी प्रकार की चुनौती मान्य नही होगी। अन्य पदों पर आम सहमति न होने पर साधारण सभा द्वारा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जायेगा जबकि सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के अन्य पदों पर संस्था के संस्थापक सदस्य ही आसीन हो सकेगें।

(II) समिति की बैठक :–

प्रबन्ध समिति की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा वर्ष में 4 बार बुलायी जायेगी जो 3–3 माह के अन्तराल पर होगी किन्तु अध्यक्ष की अनुमति न मिलने पर यह समयावधि

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
B Kumar
KSingh

Ramesh Singh
Dr G. Sisodia
शारदा देवी
JP Singh
रामपाल सिंह
Rajendra Kumar Gupta

सहायक रजिस्ट्रार

घट–बढ सकती है । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अथवा आपात स्थिति में विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकेगी ।

(III) प्रबन्ध समिति के अधिकार तथा कर्तव्य :–
समिति के अधिकार, कर्तव्य (जहाँ तक नियमों से असंगत नही हो) निम्नलिखित होंगे –

(क) साधारण सभा द्वारा निश्चित कार्य प्रणाली को लागू करना ।

(ख) संस्था की आय व्यय की स्वीकृति देना ।

(ग) बजट पर विचार करना एवं स्वीकार करना।

(घ) संस्था की आवश्यकतानुसार भवन सज्जा, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री की समयानुसार व्यवस्था करना ।

(ङ) संस्था की सभी चल अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षित रखना और हिसाब किताब करना ।

(च) संस्था मे नव सृजित एवं रिक्त पदों की नियुक्ति करना एवं चयन हेतु समिति का गठन करना ।

(V) पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार :–
प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार होंगे

<u>अध्यक्ष</u> :–

(क) साधारण सभा एवं प्रबन्ध समिति की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना ।

(ख) होने वाली बैठको की तिथियों को अनुमोदित अथवा परिवर्तित करना, बैठकों को स्थगित करना तथा एजेण्डे में संशोधन करना ।

(ग) संस्था के सम्बन्धित अनुबन्धों तथा संस्था की अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण एवं समस्त विलेखों व लेखों पर सचिव के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना ।

K.P. Singh

Ramesh Singh

शारदा देवी

(घ) प्रबन्ध समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अधिक से अधिक 20,000 रू0 (बीस हजार रूपये) तक की धनराशि व्यय करना ।

(ड) संस्था के समस्त बैंक खातों का सचिव अथवा कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संचालन करना ।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकार एव कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष को करना होगा किन्तु अध्यक्ष जी की नीति में परिवर्तन करने का अधिकार उसे नही होगा न ही वित्त सम्बन्धी अधिकार होंगे ।

सचिव :–

(क) संस्था के लिए अनुदान, दान तथा अन्य वैधानिक मदों से धन प्राप्त करना तथा यथाविधि रसीद देना ।

(ख) संस्था के सभी प्रकार के कार्यों के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा ।

(ग) साधारण सभा, कार्यकारिणी सभा की मीटिंग बुलाना तथा कार्यवाही लिखना ।

(घ) समिति एवं सभा की मीटिंग अध्यक्ष की आज्ञानुसार बुलाना ।

(ड) संस्था का वार्षिक आय–व्यय का बजट तैयार करना और समिति व साधारण सभा के समक्ष रखे जाने के लिए उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत करना ।

(च) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।

(छ) संस्था के कर्मचारियों के वेतन वृद्धियों तथा अन्य देय राशियों का भुगतान स्वीकृत करना ।

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
B Kumar
Ramesh Singh
Dr G S Sisodia
शारदा देवी
Singh
रामपाल सिंह

(ज) समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक 20,000 रूपये (बीस हजार रुपये) तक की धनराशि व्यय करना।

कोषाध्यक्ष :–

(क) संस्था के कोष को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष का होगा ।

(ख) अपने पास 15,000 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) तक रख सकता है । इसके अतिरिक्त धन को मान्यता प्राप्त समीपस्थ बैंक में जिसकी स्वीकृति समिति दे जमा करेगा ।

(ग) धन प्राप्ति की रसीदों पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर मान्य होंगे ।

(घ) समिति की आय व्यय के सम्बन्ध में एक रोकड़ बही अपने पास रखेगा ।

(ङ) समिति की बैठक में पूर्ण आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(च) किसी भी बिल के भुगतान से पूर्व सचिव की अनुमति आवश्यक होगी ।

(छ) दान, अनुदान व चंदा वसूली हेतु अध्यक्ष एवं सचिव की मदद करना।

9. संस्था के कोष

(क) नकद या सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा रक्षित निधि, राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर बचत बैंक में रखी जायेगी ।

(ख) संस्था की अन्य निधियाँ किसी भी समीपवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में जमा की जायेगी। विनियोजन के लिए पृथक रखी गयी धनराशियाँ राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा परम प्रतिभूतियों में लगाई जायेगी।

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
B.Kumar
B.Singh
Ramesh Singh
Dr. G. S. Sisodia
शारदा देवी
J.P. Singh
नागपाल सिंह
Rajendra Kumar Gupta

सहायक रजिस्ट्रार

(ग) किसी भी प्रकार के धन को प्राप्त करने के लिए रसीद का प्रयोग आवश्यक होगा तथा धन प्राप्ति के लिए जो रसीद छपवायी जायेगी, उसका पूर्ण विवरण रसीद संख्या सहित कैश बुक में होगा । संस्था के लिए खर्च किये गये धन की पावती अति आवश्यक होगी जिसका ब्यौरा भी कैश बुक में दर्शाना आवश्यक होगा ।

10. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण

(क) विधिनुसार नियुक्त कोई भी अर्ह लेखा परीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार संस्था के लेखों की परीक्षा करेगा और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संस्था के आय तथा व्यय के वितरण के साथ लगा दी जायेगी ।

(ख) संस्था के परीक्षित लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समिति / सभा की अगली बैठक के समय आवश्यक कार्यवाही के लिए रखे जायेंगे।

(ग) यदि कोई सदस्य तथा पदाधिकारी संस्था की निधि या सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है और इस तथ्य की लेखा परीक्षा से पुष्टि होती है तो अध्यक्ष उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

11. संस्था के अभिलेख

(क) सदस्यता रजिस्टर

(ख) कार्यवाही रजिस्टर

(ग) स्टाफ रजिस्टर

(घ) कैश बुक

(ङ) रसीद बुक, अन्य आवश्यक पुस्तिकाएं व रजिस्टर

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
J P Sel
Ramesh Singh
Dr. G. S. Sisochia
शारदा देवी
R Singh
Jp Singh
गजपाल सिंह
Kumaar
Rajendra Kumar Gupta

12, साधारण सभा का गठन —

गठनः — इस नियमावली में दर्शाये गये सभी सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

बैठके :— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलायी जा सकती है ।

सूचना अवधिः— साधारण सभा की साधारण बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक के लिए सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

बैठक की गणपूर्तिः— साधारण सभा के सदस्यों के कुल योग के 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति पर बैठक का कोरम पूर्ण रहेगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथिः— साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः—

अ— प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

ब— वार्षिक रिर्पोट पास करना।

स— वार्षिक बजट पास करना।

द— संस्था के नियमों उपनियमों में परिर्वतन करना।

13, प्रबन्धकारिणी समिति—

बैठकेः— साधारण बैठक वर्ष में 4 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधिः— प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन तथा विशेष बैठक के लिए सूचना 24 घण्टे पूर्व देनी पर्याप्त होगी।

गणपूर्तिः— कुल संख्या का कोरम 2/3 कोरम पर्याप्त होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्तिः— प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई पद अचानक रिक्त हो जाता है तो उनकी पूर्ति शेष अवधि के लिए साधारण सदस्यों से ही की जायेगी ।

कार्यकालः— एक बार गठित प्रबन्धकारिणी समिति 5 वर्ष तक चलेगी।

शैलेन्द्र कुमार
K.P. Singh
Kumar
J P Singh
Ramesh Singh
Dr G S. Sisodia
शारदा देवी
R Singh
J P Singh
रामपाल सिंह
Rajendra Kumar Gupta

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
... इलाहाबाद

11.05 का समायोजन–

1. सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धकारिणी समिति का पदेन सदस्य होगा।
2. (क) प्रबन्धकारिणी समिति में नियमानुसार 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक होंगे।
   (ख) महाविद्यालय के प्राचार्य को छोड़कर अध्यापक श्रेष्ठता क्रम में चक्रानुसार एक वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्य होंगे।
   (ग) प्रबन्धकारिणी समिति में एक सदस्य विद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों से होगा जिसका चयन श्रेष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिये होगा।
   (घ) खण्ड 'ग' के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध तन्त्र के 2 सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अधीन एक दूसरे के नातेदार नहीं होंगे।
   (ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
   (च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्ध तन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं अथवा प्रबन्ध तन्त्र वैध रूप से गठित है या नहीं। तब कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
   (छ) विश्वविद्यालय/कुलपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा निरीक्षक दल के समक्ष महाविद्यालय की आय व व्यय के समस्त मूल दस्तावेजों के लेखे सम्बन्धित सोसायटी, ट्रस्ट या मूल निकाय जाँच हेतु प्रस्तुत करने के लिये तैयार है।

विशेष –

~~[illegible]~~

संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं शिक्षण संस्था जिसका नाम लाल बहादुर सिंह शिक्षा संस्थान गोहावर जनपद बिजनौर में स्थापित करेगी ताकि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके ।

संस्था का विघटन–

संस्था का विघटन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार होगा।

इस नियमावली में पृष्ठों की संख्या 10 है।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मु०, म०, मुरादाबाद